HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट व अन्य धाराओं में अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹14,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **राठ** में पंजीकृत **मु0अ0सं0- 853/2011 धारा- 387,323,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट व 2बी/12 द0प्र0क्षे0 अधिनियम** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **ओमप्रकाश यादव पुत्र पूरनलाल उर्फ पुन्ना** निवासी मु0 सिकन्दरपुरा थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए **03 वर्ष का कठोर कारावास** एवं **₹14,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।**

	विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह		विवेचक- क्षेत्राधिकारी शील कुमार		पैरोकार थाना - राठ का0 सर्वज्ञ